

संख्या:शिक्षा-शिमला(5-2)विविधत/2018  
कार्यालय उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर,  
शिमला, जिला शिमला-171001



दिनांक: शिमला-171001

सेवा में,


समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक,  
रा0व0मा0पा0/उ0पा0,ग्रीष्मकालीन, जिला शिमला।

विषय:- हिमाचल प्रदेश के स्कूलों की छुट्टियों व समय सारिणी में बदलाव बारे।  
ज्ञापन,

उपरोक्त विषय पर शिक्षा निदेशालय के कार्यालय पत्र संख्या:ई0डी0एन0 -एच0  
(21)ए (3)06/2017-वी दिनांक: 05.09.2018 के अन्तर्गत सूचित किया गया है कि  
समय-समय पर निदेशालय हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों की समय सारिणी को  
सर्दियों के मौसम में प्रातः 9:00 बजे से 3:00 बजे के स्थान पर प्रातः 10:00 बजे से 4:00 बजे  
तक करने और ग्रीष्मकालीन अवकाश को 26 जून से 31 जुलाई के स्थान पर प्रतिवर्ष 15  
जुलाई से 31 अगस्त तक करने बारे सुझाव प्राप्त हो रहे हैं।


इस संदर्भ में जैसाकि आपको विदित है कि सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्चतर  
शिक्षा संहिता 2012 के अनुच्छेद 2.8.1.(बी) के अनुसार, सभी ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों  
की समय सारिणी एक समान प्रातः 9:00 बजे से 3:00 बजे तक निर्धारित की गई है। इसी  
तरह ग्रीष्मकालीन अवकाश को भी प्रतिवर्ष 26 जून से 31 जुलाई तक निर्धारित किया गया है।

अतः इस संदर्भ में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि सरकार द्वारा अनुमोदित की  
गई समय सारिणी व छुट्टियों में किसी तरह का बदलाव करने बारे समबिन्धत जन-प्रतिनिधियों  
, अध्यापक संघों से इस बारे सुझाव आमंत्रित करने के उपरान्त इस कार्यालय को प्रेषित करें  
ताकि मामले में आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

  
उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर,  
शिमला, जिला शिमला-171001

पृष्ठांकन संख्या: सम दिनांक: शिमला-171001  
प्रतिलिपि:-

1. शिक्षा निदेशक उच्चतर, हिमाचल प्रदेश शिमला-01 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. नोडल अफिसर आई0टी0 आन्तरिक को इस कथन के साथ प्रेषित है कि  
इस पत्र को कार्यालय की वेपसाईट में अपलोड करें।
3. रक्षक नस्ति।

  
उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर,  
शिमला, जिला शिमला-171001